

राज्य सेक्टर/आयोजनागत
संख्या:- 24-90 / 111 (2) / 08-61 (प्रा0आ0) / 2007

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामे,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 25 जुलाई, 2008

विषय:- वित्तीय वर्ष 2008-2009 में अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत 60 नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये 60 कार्यों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपलब्ध कराये गये कुल 60 कार्यों के आगणनों लागत रू0 14621.83 लाख पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई धनराशि रू0 14602.48 लाख की धनराशि की लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिए उनके सम्मुख कॉलम-03 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 6.00 लाख (रू0 छः लाख मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृति के सापेक्ष संलग्न सूची में वर्णित रू0 1.00 करोड़ से अधिक लागत के कार्यों पर वित्त विभाग के कार्यालय झाप दिनांक 30.5.2008 में दी गई व्यवस्था के अनुसार शासन स्तर से कार्यवाही किये जाने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व सभी कार्यों के लिये संक्षम स्तर से प्राविधिक स्वीकृति भी प्राप्त कराली जायेगी तथा उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा जिसके लिये यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

4- कार्य कराने से पूर्व समस्त वांछित औपचारिकताएँ पूर्ण कराते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराना सुनिश्चित किया जाये।

5- यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से धनराशि पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी हो तो उस कार्य हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

6- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य संक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों / पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ

(Signature)

24/7/08

विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाये। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2009 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाये। कार्य कराते समय टैण्डर तद्विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाये। यदि टैण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर कार्य पूर्ण होता है तो ऐसी समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाये।

7- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8- यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य के निमित्त पूर्व में किन्हीं अन्य बचत से धनराशि स्वीकृत हुई हो तो उसका विवरण शासन को देकर अवशेष धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।

9- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-30 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिचय-04 जिला तथा अन्य सड़कें आयोजनागत- 800 अन्य व्यय-02 अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान -02 नये कार्य -24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

10. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-6733/XXVII(2)/2008 दि. 25/7 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक- 60 कार्यों की सूची।

भवदीय,
प्रदीप सिंह रावत
उप सचिव।

संख्या-2490 (1)/III-(2)/08, तददिनांक।

- 1- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 2- महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबेरॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
- 3- आयुक्त गढ़वाल/कुमायू मंडल, पौड़ी/नैनीताल।
- 4- सचिव, समाज कल्याण (नियोजन प्रकोष्ठ), उत्तराखण्ड शासन।
- 5- समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायू क्षेत्र, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा।
- 7- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
- 8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 9- लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
प्रदीप सिंह रावत
उप सचिव।

लेटर प्रिंट प्रमाणित

सहायक सचिव
प्रान्तीय खण्ड लो0 वि0 वि0
भागेश्वर

(4)

शासनानुदेश संख्या 2490 / 111-2/08-61 (प्रा.आ0)/2007 दिनांक 25 जुलाई, 2008 का संलग्नक

क्र.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	लागत (लाख रु०) में	टी.ए.सी. वित्त द्वारा स्वीकृत धनराशि	व्यय की स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
1.	रुद्रप्रयाग में ग्राम कुणजेटी हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.00	73.50	73.50	0.10
2.	रुद्रप्रयाग के अगस्तमुनी विकास खण्ड में खांकरा-पौड़ीखाल-गहड़खाल मोटर मार्ग से मरगाँव सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण	4.00	147.00	147.00	0.10
3.	रुद्रप्रयाग के अगस्तमुनी वि०ख० में शिवनन्दी से सिम्तोली मोटर मार्ग के अवशेष भाग का नव निर्माण	4.00	147.00	147.00	0.10
4.	रुद्रप्रयाग के वि०ख० जखोली में आश्रम से घरडा-मखेत मोटर मार्ग का ग्राम कोटी तक विस्तार	6.00+ 45मी० सेतु	358.00	358.00	0.10
5.	रुद्रप्रयाग में डुंगर बैण्ड से सिल्ला बामणगाँव तक हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन	2.00	56.70	56.70	0.10
6.	रुद्रप्रयाग में कमसाल जगोट (अम्बेडकर ग्राम) गणेशनगर मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं पक्कीकरण	4.25	89.25	89.25	0.10
7.	रुद्रप्रयाग में कणसिल-जाबरी-कान्दी हल्का वाहन मोटर का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण	1.00	28.35	28.35	0.10
8.	नैनीताल में देवलचौड़ आनन्दपुर चौकी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधार	2.500	88.25	76.65	0.10
9.	नैनीताल में चोरगलिया के देवपुरा-सनवाल क्षेत्र के आन्तरिक सम्पर्क मार्ग	2.00	56.00	56.00	0.10
10.	नैनीताल में चोरगलिया के घरमगढ़ क्षेत्र के आन्तरिक मार्ग का निर्माण	2.00	56.00	56.00	0.10
11.	चम्पावत में किमतोली शौसाल मोटर मार्ग के पिलखी लिंक मोटर मार्ग विण्डा तिवारी तक विस्तार	5.00	175.00	175.00	0.10
12.	चम्पावत में किमतोली पुल्ला मोटर मार्ग से टम्टा काण्डे तक मोटर मार्ग का निर्माण	6.00	210.00	210.00	0.10
13.	चम्पावत में सिप्टी-नायड़ी मोटर मार्ग का विस्तार	4.00	140.00	140.00	0.10
14.	चम्पावत में नरसिंह डांडा-गुरौली (कैन्युरा) मोटर मार्ग के किमी० 7 से बाईपास मार्ग निर्माण	6.00	175.00	175.00	0.10
15.	चम्पावत में टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग के किमी० 31 से सिलाह मोटर मार्ग का नव निर्माण	3.00	105.00	105.00	0.10
16.	बागेश्वर में दुदीला-अमोली-महरपाल मोटर मार्ग का नव निर्माण	10.00	387.70	387.10	0.10
17.	बागेश्वर में हरिनगरी-पंध्या मोटर मार्ग का हड़ापडाबू तक विस्तार	10.00	473.11	473.11	0.10
18.	बागेश्वर में कज्यूली-कोटकुलवारी-पडियार खेत मोटर मार्ग का नव निर्माण	5.00	400.55	400.55	0.10
19.	बागेश्वर में मच्छीबगड़-ग्यालदे तक मोटर मार्ग का निर्माण	10.00	517.50	517.50	0.10

Chy

अधीनस्थ

- 1 -

→

(5)

संख्या 2499/III(2)/08-61(C.A.A.)/07 का संलग्नक दि 25/9/08

20.	बागेश्वर में मरुड-धेना-लखनी मोटर मार्ग के किमी 3 एवं किमी 4 का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य	2.00	42.00	42.00	0.10
21.	बागेश्वर में दयागड-कठायतबाडा-आरे बाईपास में सुधार एवं डामरीकरण स्तर तका कार्य	6.00	126.00	126.00	0.10
22.	बागेश्वर में वज्यूला-मवई-हरिनगरी मोटर मार्ग का नव निर्माण	6.00	370.50	370.50	0.10
23.	बागेश्वर में काफलीगैर से जौठा ग्राम तक मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	147.45	147.45	0.10
24.	बागेश्वर गिरेछिना मोटर मार्ग के थुनाई से मिहिनियां तक मोटर मार्ग का नव निर्माण	4.00	142.36	142.36	0.10
25.	बागेश्वर में ग्राम पापे हेतु मोटर मार्ग निर्माण	4.00	237.40	237.40	0.10
26.	बागेश्वर में दाणूछीना से लोब तक मोटर मार्ग का बेहरगोंव-पगना तक विस्तार	6.00	221.00	220.50	0.10
27.	बागेश्वर में कठपुडियाछिना-रैखोली-बोडी हल्का वाहन मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तन का कार्य	9.00	255.50	255.00	0.10
28.	बागेश्वर में पालडीछिना-मल्लीढाना-नैनी-विनसर-भौगाडी-दाणोछिना-भटखोला मोटर मार्ग का नव निर्माण	6.00	221.00	220.50	0.10
29.	बागेश्वर में हरसिला-पुडकुनी (पी.एम.जी.एस.वाई.) मोटर मार्ग के किमी 11 से छुरिया तक मोटर का निर्माण	7.00	725.41	725.41	0.10
30.	बागेश्वर में मुनार-सूपी (पी.एम.जी.एस.वाई.) मोटर मार्ग के किमी 8 से खलझूनी तक मोटर का निर्माण	12.00	827.74	827.74	0.10
31.	बागेश्वर में खलझूनी से मिखिला खलपट्टा तक मोटर मार्ग निर्माण 2 सेतुओं सहित	10.00	630.57	630.57	0.10
32.	बागेश्वर में ढालन खुनौली मोटर मार्ग से मजवे तक मोटर मार्ग निर्माण सेतु सहित	4.00	237.60	237.60	0.10
33.	बागेश्वर में रमाणी कनौली मोटर मार्ग का किचवा तक विस्तार कार्य ।	4.00	147.00	147.00	0.10
34.	बागेश्वर में हरसिला-पुडकुनी मोटर मार्ग से चर्चई तक मोटर मार्ग निर्माण सेतु सहित	5.00	455.75	449.59	0.10
35.	बागेश्वर में भैयू-गडेरा मोटर मार्ग नरगडा तक विस्तार सेतु सहित	10.00	485.52	485.52	0.10
36.	बागेश्वर में पिण्डारी ग्लेशियर मोटर मार्ग के किमी 21 से हरकोट तक मोटर मार्ग निर्माण	5.00	183.75	183.75	0.10
37.	बागेश्वर में कन्यालीकोट जगन्थाना मोटर मार्ग के किमी 4 से पैसारी तक मार्ग निर्माण	6.00	287.70	287.70	0.10
38.	बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग के किमी 21 से पनौरा तक मोटर मार्ग निर्माण	2.00	289.17	289.17	0.10
39.	बागेश्वर में मल्लोडीयार गवातोली मोटर मार्ग निर्माण	12.00	441.00	441.00	0.10
40.	बागेश्वर में मल्लोडी मोटर मार्ग निर्माण सेतु सहित	3.00	211.68	211.68	0.10
41.	भिकियासैण के अन्तर्गत रापड़-नौघरिया-सौली-चनौली-भनौली मोटर मार्ग का नव निर्माण	7.00	245.00	245.00	0.10
42.	सल्ट के अन्तर्गत भतरौजखान जीनापानी उगलिया मोटर मार्ग के किमी 11 से 15 के मध्य किमी 14 में 24 मी० स्पान स्टील गर्डर सेतु निर्माण	24 मी०	61.83	61.83	0.10

du

प्रमाणित

-2-

शासनोदेश सं 2490

11/12/08-61 (जा.आ.)/2007 का संलग्नक, 25/1/08

43.	अल्मोडा में सौज-डटवील गाँव मोटर मार्ग निर्माण	2.50	87.50	87.50	0.10
44.	अल्मोडा में मजखाली-दिगोटी मोटर मार्ग मजेठी ग्राम तक मोटर मार्ग निर्माण	4.00	140.00	140.00	0.10
45.	अल्मोडा में हारसौ काकडी घाट मोटर मार्ग से दुरकोटा ग्राम तक मार्ग निर्माण	3.00	105.00	105.00	0.10
46.	अल्मोडा में विकास खण्ड लमगाडा के अन्तर्गत टकौली बैण्ड से बड़यूडा-बलमा मोटर मार्ग का नव निर्माण	17.00	595.00	595.00	0.10
47.	चमोली में मींग गधेरा-गडकोट मोटर मार्ग का करचूडा तक विस्तार तीन सेतुओं सहित		227.34	227.34	0.10
48.	चमोली में नन्दप्रयाग-देवखाल मोटर मार्ग के किमी 3.00 से ग्राम दादर तक मोटर मार्ग का निर्माण		119.28	119.28	0.10
49.	चमोली में ग्राम कस्बीनगर तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डमरीकरण	5.00	105.00	105.00	0.10
50.	चमोली में हरमनी-करचूडा मोटर मार्ग का नव निर्माण	8.00	294.00	294.00	0.10
51.	चमोली में जिलासू-आली मोटर मार्ग का विस्तार	6.00	220.50	220.50	0.10
52.	कर्णप्रयाग के अन्तर्गत शिमली चुलाकोट बैनीताल मोटर मार्ग के किमी 10 से बनियास हेतु मोटर मार्ग निर्माण	5.00	183.75	183.75	0.10
53.	गैरसैण के अन्तर्गत खेती बेड़ी छिमटा मोटर मार्ग का ग्राम शीठा मंगनी तक विस्तार	10.00	455.37	455.37	0.10
54.	विकास खण्ड घाट में सितैल से ग्राम प्राणमती तक मोटर मार्ग निर्माण	10.00	367.50	367.50	0.10
55.	चमोली के अन्तर्गत उज्जवलपुर से बेनोली तक मोटर मार्ग का विस्तार	10.00	367.50	367.50	0.10
56.	टिहरी के जाखणीघाट में जीरो ब्रिज से भड्गाडमयू चोपड़ा सैण पिपोला मोटर मार्ग निर्माण	4.00	140.00	140.00	0.10
57.	उत्तरकाशी में आराकोट-क्लीच-थुनारा-डामटी (अवशेष भाग का विस्तार) मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	175.00	175.00	0.10
58.	उत्तरकाशी में मोरी-मोताड मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	105.00	105.00	0.10
59.	उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़ में बड़ेथी-बनचौरा मोटर मार्ग से डांडा गांव मोटर मार्ग का निर्माण		110.25	110.25	0.10
60.	उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़ में सिलक्यारा-बनगाँव-चापड़ा-सरोट मोटर मार्ग से बनोटपल्ला मोटर मार्ग का निर्माण		147.00	147.00	0.10
	कुल योग		14621.83	14602.48	6.00

(रु० छः लाख मात्र)

प्र.मी.प्रा.प.

(प्रदीप सिंह रावत)

उप सचिव।

कोटा जिला प्रकाशित

सहायक कमिश्नर

ग्रामीण विकास एवं पंचायत

बागेश्वर